कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।

पत्रांक 1072 /14–10 ,अलीगढः दिनांकः सितम्बरः 27 ,2017

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
विश्व बैंक परियोजना वृत्त,
लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़ (उ0प्र0)

विषयः– **अलीगढ़ में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत नानऊ से दादऊ मार्ग (MDR-82W) किमी0 01 से 30 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 10.184 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1434 वृक्षों के पातन की अनुमति।**

संदर्भः– भारत सरकार प्रर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं0–8बी/06/05/2017/एफ0सी0/320 दि0 18–09–2017, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 801/अलीगढ़/14208/2015 दिनांक 21.09.2017 एवं वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ का पत्रांक 952/14–1 दिनांक 21.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें। इस सम्बंध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दि 18–09–2017 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखिति समस्त शर्तो का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त सं0–1 से 6 तक निम्न प्रकार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा शर्तानसुार वांछित धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमाकर, जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण, निर्धारित प्रारूप में अंकित करते हुए इस कार्यालय को 05 प्रतियों (मूल में) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि इस सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि 20.368 हे0 (10.184X 2= 20.368 है0) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 53,57,500 (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर उत्पन्न चालान से जमाकर, निर्धारित प्रारूप में सूचना एवं Online Payment History की प्रति संलग्न कर उपलब्ध करायें।
2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0– **63,75,184/–** ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमाकर, निर्धारित प्रारूप में सूचना एवं Online Payment History की प्रति संलग्न कर उपलब्ध करायें।

   (ख) इसके उपरान्त याचक विभाग द्वारा जमा की गयी धनराशि की ऑन लाइन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

   (ग) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) 05 प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
3– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा। और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगीं। इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र इस कार्यालय में 05 प्रतियों में प्रस्तुत करें।
4– प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र 05 प्रतियों में (मूल हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) सेन्ट्रल जोन बैंच , भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं0–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16–11–2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वंय के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनो तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।
5– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को 05 प्रतियों में प्रेषित की जायेगी।
6– प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।
7– राज्य सरकार प्रकरण में किसी भी प्रकार का शासनादेश जारी करने से पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता के नियमो का पूर्ण रूपेण पालन करेंगी।

Deepak/D/m/GL-6.doc.1

उक्त प्रकरण किमी0 01 से 30 तक चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में बाधक वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है। उक्त प्रस्ताव में सम्मलित बाधक वृक्षों/पौधों का विवरण निम्नानुसार है।

कम सं0	जनपद	वृक्षों की सं0 (गर्त > 30 से0मी0)	पौधों की सं0 (गर्त < 30 से0मी0)
1	अलीगढ	1434	8428

छपानः– बाधक वृक्षों के छपान हेतु धनराशि *(प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–प–105/16–57 (लाट) दि0 23–9–2014 के बिन्दु सं0–2 में हुए संशोधन के अनुसार रू0 10/– प्रति वृक्ष के आधार पर) 9862 वृक्ष दर 10/– रू0 प्रति वृक्ष)* रू0 98620/– का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के नाम देय हो प्रस्तुत करें।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या पत्रांक–II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक 02–02–2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन संरक्षण अधिनियन 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

कृपया उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन अतिशीघ्र करने का कष्ट करें ताकि शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। अनुपालन आख्या के उपरान्त ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(एस0डी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
अलीगढ़।

पत्रांक /14–10 दिनांकित।

1– प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2– प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0डी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
अलीगढ़।